

आइस एंड जनरल मिल्स

बनाम

आयकर अधिकारी, केंद्रीय सर्किल II, मेरठ

20 नवंबर, 1979

[वी.डी. तुलजापुरकर और ई.एस. वेंकटरामी, जेजे.]

बची आय - 1961 के अधिनियम की धारा 147 के तहत निर्धारण को फिर से खोलना तब अनुज्ञेय नहीं है जब स्वयं बची आय के संबंध में, 1922 के अधिनियम की धारा 34 (1) के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी और 1 अप्रैल, 1962 को यानी 1961 के अधिनियम को लागू करने की तारीख को लंबित थी - आयकर अधिनियम, 1961, धारा 297 (2)(डी)(ii) 1922 के अधिनियम की धारा 34 (1) के तहत कार्यवाही के तथ्यात्मक लंबित होने को संदर्भित करती है।

अपीलकर्ता-निर्धारिती एक ऐसी संस्था है जो अपने शीतागार में बर्फ के निर्माण और आलू के संरक्षण का व्यवसाय करती है। 5 जुलाई, 1961 के एक आकलन आदेश द्वारा इसका आकलन आकलन वर्ष 1961-62 के लिए कुल आय 53,548/- पर आयकर के रूप में किया गया था। आयकर अधिकारी ने 1922 के अधिनियम की धारा 34(1) के तहत 21 दिसंबर, 1961 को शुरू की गई अपनी कार्यवाही में पाया कि निर्धारिती द्वारा बेनामी व्यक्तियों के नाम पर किए गए आलू के लेन-देन द्वारा कुछ संपत्ति आय और एक लाख तक की आय निर्धारण द्वारा बच गई थी और इसलिए, 22 दिसंबर, 1965 के अपने आदेश द्वारा उन्होंने उन्हें कर के दायरे में लाया। आयकर अधिकारी के उक्त आदेश को 10 मई, 1967 को अपील में इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि पुनर्मूल्यांकन की शुरुआत उचित नहीं थी। यह आदेश अंतिम हो गया क्योंकि विभाग ने आगे कोई कदम नहीं उठाया 14 जुलाई, 1967 को आयकर अधिकारी ने आयकर आयुक्त

की मंजूरी प्राप्त करने के बाद उसी निर्धारण वर्ष के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 के तहत एक नोटिस जारी किया। नोटिस के अनुसार अपीलकर्ता ने 14 अगस्त, 1967 को विरोध में रिटर्न दाखिल किया। अपीलकर्ता ने अन्य बातों के साथ साथ-साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करके उक्त नोटिस को इस आधार पर चुनौती दी कि 1961 के अधिनियम की धारा 297 (2) (डी) (2) के तहत 1961 के अधिनियम की धारा 147 के तहत कोई पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही नहीं की जा सकती क्योंकि स्वयं की बची हुई आय के संबंध में, 1922 के अधिनियम की धारा 34 (1) के तहत कार्यवाही की गई थी और 1 अप्रैल, 1962 को लंबित थी जब 1961 का अधिनियम लागू हुआ था। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को इस आधार पर खारिज कर दिया कि धारा 297(2)(डी)(ii) लागू होने के लिए, 1922 अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही अधिकार क्षेत्र के साथ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए।

प्रमाणपत्र द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने-

अभिनिर्धारित किया : 1922 के अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही की तथ्यात्मक विचाराधीनता न कि उनकी वैधता, 1961 के अधिनियम की धारा 297 (2) (डी) (ii) के प्रयोजनों के लिए सामग्री है। [238 डी-ई]

तत्काल मामले में: (ए) निर्विवाद रूप से, 1922 के अधिनियम की धारा 34 (1) के तहत एक लाख रुपये (जिसके बारे में कहा जाता था कि वह निर्धारण से बच गया था) के संबंध में कार्यवाही 1 अप्रैल, 1962 को लंबित थी और इसलिए, 1961 के अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस अक्षम होगा, और [239 सी-डी]

(बी) आयकर अधिकारी द्वारा धारा 34 के तहत कार्यवाही की शुरुआत को अधिकार क्षेत्र के बाहर नहीं माना जा सकता है और इसलिए गैर-कानूनी माना जा सकता है। आयकर अधिकारी द्वारा 22 दिसंबर, 1965 को दिए गए पुनर्मूल्यांकन आदेश से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उन्होंने धारा 34(1)(बी) के तहत (संपत्ति आय के

संबंध में) कार्यवाही शुरू की थी, यानी सहायक अपीलीय आयुक्त के आदेश से उनके द्वारा एकत्र की गई जानकारी के परिणामस्वरूप, न कि धारा 34 (1) (ए) के तहत। [239 एफ-एच]

एस.बी जैन बनाम महेंद्र, 83 आई.टी.आर. 104 (एससी) और गुजर मल मोदी बनाम आयकर आयुक्त, 84 आई.टी.आर. 261; लागू किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2015/1972

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सिविल विविध रिट याचिका संख्या 4632/70 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 18-1-1971 से उत्पन्न।

एस. टी. देसाई, बी. आर. अग्रवाल और पी. सी. गोखले, अपीलार्थी की ओर से।

वी. एस. देसाई, सुश्री ए. सुभाशिनी, जे. राममूर्ति और मिस आर. वैगई, प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय तुलजापुरकर, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया-

प्रमाण पत्र द्वारा इस अपील में उठाया गया मुद्दा निर्धारिती के पक्ष में इस न्यायालय के दो फैसलों में शामिल प्रतीत होता है और इसलिए हम एक संक्षिप्त निर्णय द्वारा अपील का निस्तारण करने का प्रस्ताव करते हैं।

अपीलकर्ता, एक फर्म, अपने शीतागार में बर्फ के निर्माण और आलू के संरक्षण का व्यवसाय करती है। 5 जुलाई, 1961 के एक निर्धारण आदेश द्वारा 53,548 रुपये की कुल आय पर निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर के रूप में इसका आकलन किया गया था। भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 34 (1) के तहत 21 दिसंबर, 1961 को शुरू की गई कार्यवाही में, आयकर अधिकारी ने पाया कि निर्धारिती द्वारा बेनामी व्यक्तियों के नाम पर किए गए आलू के लेनदेन द्वारा कुछ संपत्ति आय और एक लाख तक की आय निर्धारण द्वारा बच गई थी और इसलिए, 22 दिसंबर, 1965 के अपने

आदेश द्वारा उन्होंने उन्हें कर के दायरे में लाया। आयकर अधिकारी के उक्त आदेश को अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा 10 मई, 1967 को अपील में इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करना उचित नहीं था। विभाग ने मामले को वहीं रुकने दिया और सहायक अपीलीय आयुक्त का आदेश अंतिम हो गया। 14 जुलाई, 1967 को आयकर अधिकारी ने आयकर आयुक्त द्वारा मंजूरी प्राप्त करने के बाद स्व-निर्धारण वर्ष के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 के तहत एक नोटिस जारी किया। मान लीजिए, धारा 147 के तहत मूल्यांकन को फिर द्वारा खोलने के लिए मंजूरी की मांग करते हुए, आयकर अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप द्वारा कहा कि निर्धारिती ने विभिन्न नामों पर आलू के बेनामी भंडारण के कारण अज्ञात स्रोत द्वारा रुपये की आय को छुपाया था और निर्धारिती की ओर द्वारा अपनी आय का पूरी तरह और सही ढंग द्वारा खुलासा करने में विफलता के कारण यह आकलन द्वारा बच गई थी। नोटिस के अनुसार अपीलकर्ता ने 14 अगस्त, 1967 को विरोध में रिटर्न दाखिल किया। अपीलकर्ता ने अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करके नोटिस को इस आधार पर चुनौती दी कि 1961 के अधिनियम की धारा 147 के तहत कोई पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही नहीं की जा सकती क्योंकि 1922 के अधिनियम की धारा 34 (1) के तहत उसी तरह की आय द्वारा बचने की कार्यवाही शुरू की गई थी और 1 अप्रैल, 1962 को लंबित थी, जब 1961 का अधिनियम लागू हुआ था और इस लिए 1961 के अधिनियम की धारा 297(2)(डी)(ii) पर निर्भरता रखी गई थी। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को इस आधार पर खारिज कर दिया कि धारा 297(2)(डी)(ii) को लागू करने के लिए, 1922 अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही अधिकार क्षेत्र के साथ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए जो यहां मामला नहीं था।

एस.बी. जैन बनाम महेंद्र ⁽¹⁾ और गुजर मल मोदी बनाम सी.आई.टी. ⁽²⁾ में इस न्यायालय के दो निर्णयों को देखते हुए उच्च न्यायालय के इस निर्णय को बनाए रखना

मुश्किल है, जहां यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 297(2)(डी)(ii), 1922 के अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही की तथ्यात्मक विचाराधीनता से संबंधित है, न कि उनकी वैधता से। निष्पक्षता से यह कहा जाना चाहिए कि धारा 297(2)(डी) (ii) के उचित निर्माण पर इनमें से कोई भी निर्णय इस न्यायालय द्वारा तब नहीं दिया गया था जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मामले का फैसला किया था।

एस.बी. जैन बनाम महेन्द्र (उपरोक्त) में आयकर अधिकारी ने 1922 के अधिनियम की धारा 34(1)(ए) के तहत प्रत्यर्था-निर्धारिती को निर्धारण वर्ष 1946-47 के लिए अपने मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए 5 जनवरी, 1962 को नोटिस जारी किया था। उच्च न्यायालय ने 6 मार्च, 1963 के अपने आदेश द्वारा इस आधार पर नोटिस को रद्द कर दिया कि नोटिस को परीसीमा द्वारा वर्जित किया गया था। इस बीच 1961 का अधिनियम 1 अप्रैल, 1962 को लागू हुआ, जिसके बाद आयकर अधिकारी ने 1961 के अधिनियम की धारा 148 के तहत 26 मार्च, 1963 को फिर से एक नोटिस जारी किया। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 1961 के अधिनियम की धारा 297(2)(डी)(ii) की आवश्यकता 1 अप्रैल, 1962 को निरस्त अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही की तथ्यात्मक विचाराधीनता थी। यह सवाल कि क्या उस कार्यवाही को परीसीमा द्वारा बाधित किया गया था या नहीं, अप्रासंगिक था। हालांकि पहले की कार्यवाही को इस कारण से रद्द कर दिया गया था कि नोटिस जिस पर कार्यवाही आधारित थी, समय से परे जारी किया गया था, यह नहीं कहा जा सकता था कि 1922 के अधिनियम की धारा 34 के तहत कोई भी कार्यवाही 1961 के अधिनियम के लागू होने के समय तथ्यात्मक या कानूनी रूप से विचाराधीनता नहीं थी और चूंकि 1922 के अधिनियम की धारा 34 (1) (ए) के तहत शुरू की गई कार्यवाही 1961 के अधिनियम के लागू होने के समय विचाराधीनता थी, इसलिए आयकर अधिकारी 1961 के अधिनियम की धारा 148 के तहत कोई नया नोटिस जारी करने में सक्षम नहीं था। गुजरमल मोदी के मामले (ऊपर) में 1922 के अधिनियम की धारा 34(1)(ए) के तहत

मृतक निर्धारिती के मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए केवल मृतक निर्धारिती के उत्तराधिकारियों में से एक को नोटिस दिया गया था। सहायक अपीलीय आयुक्त ने उस सूचना के अनुसरण में किए गए मूल्यांकन को इस आधार पर दरकिनार कर दिया कि मृतक निर्धारिती के सभी कानूनी प्रतिनिधियों को नोटिस जारी करना आवश्यक था। इस बीच 1961 का अधिनियम लागू हुआ और उसके बाद आयकर अधिकारी ने मृतक निर्धारिती के सभी उत्तराधिकारियों को उस अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी किया। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि 1922 अधिनियम की धारा 34(1)(बी) के तहत कार्यवाही 1 अप्रैल, 1962 को विचाराधीनता थी, इसलिए दूसरा नोटिस अक्षम था। दूसरे शब्दों में, दोनों मामलों में इस न्यायालय ने प्रासंगिक तिथि पर धारा 34 के तहत कार्यवाही की तथ्यात्मक विचाराधीनता पर जोर दिया, न कि 1961 के अधिनियम की धारा 297(2)(डी)(ii) के प्रयोजनों के लिए सामग्री के रूप में उनकी वैधता पर। हमारे समक्ष मामले में 1922 के अधिनियम की धारा 34 (1) के तहत कार्यवाही (जिसके बारे में कहा गया था कि वह आकलन से बच गई थी) 1 अप्रैल, 1962 को तथ्यात्मक रूप से विचाराधीनता थी और इसलिए, 1961 के अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस अक्षम होगा।

राजस्व की ओर से अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त निर्णयों को इस आधार पर अलग करने का प्रयास किया गया था कि तत्काल मामले में 1922 के अधिनियम की धारा 34 के तहत पहले की कार्यवाही को गैर-कानूनी माना जाना चाहिए क्योंकि सहायक अपीलीय आयुक्त ने आयकर अधिकारी द्वारा किए गए संशोधित मूल्यांकन को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि कार्यवाही की शुरुआत (जो संपत्ति आय के संबंध में थी जो मूल्यांकन से बच गई थी) उचित नहीं थी क्योंकि यह निर्धारिती की ओर से संपत्ति आय का पूरा विवरण प्रस्तुत करने में चूक या विफलता का मामला नहीं था। हमारे विचार में प्रस्तुतिकरण तथ्यात्मक रूप से गलत है। आयकर अधिकारी द्वारा 22 दिसंबर, 1965 को दिए गए पुनर्मूल्यांकन आदेश से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उन्होंने धारा

34(1)(बी) के तहत (संपत्ति आय के संबंध में) कार्यवाही शुरू की थी, जो उनके द्वारा सहायक अपीलीय आयुक्त के आदेश से पिछले वर्ष के लिए एकत्र की गई जानकारी के परिणामस्वरूप थी, न कि धारा 34(1)(ए) के तहत, निर्धारिती की ओर से पूर्ण प्रकटीकरण करने में किसी भी चूक या विफलता के कारण और इस तरह शुरू की गई कार्यवाही के दौरान उन्हें पता चला कि रुपये की राशि अज्ञात स्रोत से आय थी, जिसे उन्होंने छिपाया था और धारा 34(1)(ए) के तहत शामिल करने के लिए उत्तरदायी था। इसलिए, आयकर अधिकारी द्वारा धारा 34 के तहत कार्यवाही की शुरुआत को अधिकार क्षेत्र के बिना नहीं माना जा सकता है और इसलिए गैर-कानूनी माना जा सकता है। जैसा कि पहले कहा गया है, विभाग ने सहायक अपीलीय आयुक्त के आदेश की अनुमति दी जिसके तहत पुनर्मूल्यांकन आदेश को अंतिम होने के लिए रद्द कर दिया गया था। उस आदेश को चुनौती देने के बजाय 1922 के अधिनियम की धारा 148 के तहत एक नया नोटिस जारी किया गया था, जो हमारे विचार में, आयकर अधिकारी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए करने का हकदार नहीं था कि 1922 के अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही 1 अप्रैल, 1962 को तथ्यात्मक रूप से लंबित थी जब नया अधिनियम लागू हुआ था।

परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जाता है और 1961 के अधिनियम की धारा 148 के तहत विवादित नोटिस को रद्द कर दिया जाता है। यह स्पष्ट है कि यदि विवादित नोटिस के अनुसार कोई आदेश पारित किया जाता है, तो वे राजस्व के लिए कोई लाभप्रद नहीं होंगे। अपील स्वीकार की जाती है परन्तु परिस्थितियों में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

एस.आर.

अपील स्वीकार की गई।

(1) 83 आई.टी.आर. 104

(2) 84 आई.टी.आर. 25

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता विनायक कुमार जोशी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।